



Neutral Citation No. - 2026:AHC:52242

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 1056/2026

श्रीमती मंजू

.....याचिकाकर्ता

बनाम

हुकम पाल सिंह एवं 11 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राहुल कुमार त्यागी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता (सी.एस.सी.), सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार त्यागी, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह और प्रत्यर्थी-गांव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"1. प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा द्वितीय अपील संख्या 3908/2025, कंप्यूटर वाद संख्या AL20251117003908; हुकम पाल सिंह बनाम श्रीमती मंजू एवं अन्य में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 04.09.2025 को, तथा द्वितीय अपील की संपूर्ण कार्यवाही को भी, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत बंटवारे की कार्यवाही से उत्पन्न हुई है, रद्द करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

2. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थियों को द्वितीय अपील संख्या 3908/2025, कंप्यूटर वाद संख्या AL20251117003908; हुकम पाल सिंह बनाम श्रीमती मंजू एवं अन्य को निर्धारित समय के भीतर जल्द से जल्द तय करने का निर्देश दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निजी प्रत्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत दायर वाद को प्रतिवादी/याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आयुक्त के समक्ष दायर अपील भी खारिज कर दी गई थी, लेकिन द्वितीय अपील

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लिया गया है और साथ ही अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 3/राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.9.2025, जिसमें द्वितीय अपील को स्वीकार करने के साथ-साथ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है, उसे रद्द किया जाए और राजस्व परिषद को उचित तरीके से द्वितीय अपील को स्वीकार करने पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-गांव सभा के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि द्वितीय अपील स्वीकार करने और मामले में अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने वाले आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को प्रवेश के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के बजाय द्वितीय अपील की कार्यवाही का विरोध करना चाहिए।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 4.9.2025 के तहत निजी प्रत्यर्थियों द्वारा दायर द्वितीय अपील स्वीकार कर ली गई है और अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है।
7. राजस्व परिषद द्वारा अपील स्वीकार करने के आदेश पर विचार करते हुए, न्याय का हित यह मांग करता है कि द्वितीय अपील को कानून के अनुसार शीघ्रता से तय किया जाए।
8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, कानून के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, अधिमानतः 4 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त द्वितीय अपील को यथासंभव शीघ्र तय करें।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"